न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –146/2018 (प्रार्थना पत्र)

1. भंवर सिंह आत्मज श्री नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पदमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

––प्रार्थी.

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति 12) उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोटा जर्ये अधिशाषी अभियन्ता कोटा
3. श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पदमपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
4. श्री देवेन्द्र सिंह आत्मज श्री शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी म0नं0 87/2ए तलवण्डी कोटा (राज0)

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी कम 1 द्वारा पारित एवार्ड का रिविजन कर वास्तविक एवार्ड जारी किये जाने तथा एवार्ड को संशोधित किया जाकर वास्तविक राशि निर्धारित किये जाने

उपस्थिति

1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री नरेन्द्र सिंह राजावत, अभिभाषक अप्रार्थी–2 व 3

निर्णय

दिनांक :–27.11.2019

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 3 जी(5) एन.एच.एक्ट 1956 एवं संशोधित अधिनियम 1997 सपठित मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 12 परियोजना के लिए अवाप्त भूमि के जारी अवार्ड कमांक/एन.एच.–12/प्रकरण संख्या 20/9 प्रकरण संख्या 20/10 एवं 20/11 दिनांक 25.05.2016 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया है ।

2. प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.09.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है किग्राम पदमपुरा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 82 की 4.41 हे0 भूमि स्थित थी जिसमें से प्रार्थी द्वारा 0.12 हे0 भूमि प्रति पक्षी कम 3 तथा 0.10 हे0 भूमि प्रतिपक्षी कम 4 को जर्ये पंजिकृत विकय पत्र विकय करने तथा 0.72 हे0 भूमि लक्ष्मी कंवर के विकय करने तथा अवाप्ति के बाद प्रार्थी के खाते में 3.2182 हे0 भूमि शेष रही जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है । वास्तव में प्रार्थी की भूमि ज्यादा अवाप्त हुई है । राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 कोटा –दरा सेक्टशन के चौड़ा करने के लिए अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गम प्रार्थी की ग्राम पदमपुरा स्थित खसरा नम्बर 82 की भूमि में से भूमि अवाप्त किये जाने की कार्यवाही की गई, जिसके अनुसार प्रार्थी की ग्राम पदमपुरा स्थित खसरा नम्बर 82 की भूमि में से भूमि

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

अवाप्तप्रार्थी की 0.2518 हे0 भूमि अधिग्रहण करने का अवार्ड जारी किया गया । इसी प्रकार प्रतिपक्षी सुरेन्द्र सिंह की 0.03 हे0 तथा प्रतिपक्षी देवेन्द्र सिंह 0.03 हे0 भूमि अधिग्रहित करने का अवार्ड जारी किया गया है । प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 82 की भूमि जो कि कोटा–दरा मैन रोड के सहारे स्थित थी, में से दिनांक 10.02.1994 को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र 0.12 हे0 भूमि मुख्य सडक से 150 फिट छोड़ कर अर्थात खसरा नम्बर 82 की भूमि में से सड़क से 150 फीट दूरी पर इसी प्रकार दिनांक 10.2.1994 को प्रतिपक्षी देवेन्द्र सिंह को 0.10 हे0 भूमि उक्त खेत में सड़क से 150 फीट की दूरी पर जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय की गई । इसके अतिरिक्त 4 बीघा जमीन 4.41 हे0 में से अर्थात लगभग 0.72 हे0 भूमि प्रार्थी ने अपने भाई की पुत्रवधू लक्ष्मी कंवर को विक्रय की थी । प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षी देवेन्द्र सिंह को विक्रय की गई भूमि का खसरा नम्बर 449/82 से बदलकर 485/82 कर दिया गया है, इसी प्रकार सुरेन्द्र सिंह को विक्रय की गई भूमि का खसरा नम्बर 450/82 किया गया है, किन्तु उक्त विक्रय होने के प्श्चात नक्शा ट्रेस में इन दौनों नम्बरों को गलत स्थान पर स्थित होना बता दिया गया है, उक्त दौनों नम्बर नक्शा ट्रेस में सड़क से 150 फीट दूर दर्शाना चाहिए था, इसी दौरान अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण उक्त रिकार्ड से अवाप्ति की कार्यवाही की गई जिसमें प्रार्थी की 0.2518 हे0 भूमि तथा सुरेन्द्र सिंह की 0.03 एवं देवेन्द्र सिंह 0.03 हे0 भूमि अधिग्रहण किये जाने का आदेश प्रदान करते हुए अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 25.5.2016 को अवार्ड जारी कर दिया गया है । उक्त अवार्ड पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है तथा प्रार्थी उक्त अवार्ड से सहमत नहीं है, उक्त अवार्ड की जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्रों के अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किये जाने का उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 15.6.2018 को आदेश पारित करते हुए नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान किया गया और उक्त आदेश की पालना में नक्शा ट्रेस दुरूस्त करते हुए देवेन्द्र सिंह और सुरेन्द्र सिंह की भूमि को सड़क से 150 फीट दर होना दर्शाया गया, ऐसी अवस्था में प्रतिपक्षी देवेन्द्र सिंह और सुरेन्द्र सिंह की भूमि 0.03–0.03 हे0 भूमि अवाप्त करने का आदेश प्रदान कर अवार्ड जारी किया गया वह त्रुटिपूर्ण है, वास्तविकता यह है कि दौनों की 0.03–0.03 हे0 भूमि उनकी न होकर प्रार्थी की अवाप्त हुई है इस प्रकार प्रार्थी की 0.2518 हे0 के स्थान पर 0.3118 हे0 भूमि अधिग्रहित हुई है । उक्त त्रुटिपूर्ण अवार्ड की जानकारी पटवार हल्का द्वारा मौके पर आकर भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाही प्रारम्भ करने के वक्त होने पर उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि थी और इस कारण प्रार्थी द्वारा आपत्ति करने पर पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज होने की जानकारी दी गई तब प्रार्थी ने तहसीलदार लाडपुरा के समक्ष नक्शा दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र जिसे पटवारी हल्का के पास वास्ते जांच के लिये भिजवाया गया तथा बाद जांच सम्पूर्ण कार्यवाही को तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी महो0 द्वारा नक्शा ट्रेस में दुस्रूती करने का आदेश प्रदान किया गया । इस कारण नक्श ट्रेस में दुरूस्ती होने से पूर्व प्रार्थी अवार्ड के विरूद्व अपनी आपत्तियां प्रस्तुत नहीं कर सका तथा रिकार्ड में दुरूस्ती का आदेश होने तथा आदेश की पालना होने के उपरान्त प्रार्थी श्रीमान के समक्ष यह आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का 0.3118 हे0 भूमि अवाप्त होना मानते हुए 0.3118 हे0 भूमि की राशि का अवार्ड प्रार्थी के पक्ष में जारी किया जावें तथा श्री देवेन्द्र सिंह एवं श्री सुरेन्द्र सिंह के पक्ष में 0.03–0.03 हे0 का जारी किया गया अवार्ड निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया, वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 3 व 4 के अभिभाषक एवं अप्रार्थी 1 व 2 के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौराते हुए कथन किया किया अन्तर्गम प्रार्थी की ग्राम पदमपुरा स्थित खसरा नम्बर 82 की भूमि में से भूमि अवाप्त किये जाने की कार्यवाही की गई, जिसके अनुसार प्रार्थी की ग्राम पदमपुरा स्थित खसरा नम्बर 82 की भूमि में से भूमि अवाप्तप्रार्थी की 0.2518 हे0 भूमि अधिग्रहण करने का अवार्ड जारी किया गया । इसी प्रकार प्रतिपक्षी सुरेन्द्र सिंह की 0.03 हे0 तथा प्रतिपक्षी देवेन्द्र सिंह 0.03 हे0 भूमि अधिग्रहित करने का अवार्ड जारी किया गया है । प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 82 की भूमि जो कि कोटा–दरा मैन रोड के सहारे स्थित थी, में से दिनांक 10.02.1994 को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र 0.12 हे0 भूमि मुख्य सडक से 150 फिट छोड़ कर अर्थात खसरा नम्बर 82 की भूमि में से सड़क से 150 फीट दूरी पर इसी प्रकार दिनांक 10.2.1994 को प्रतिपक्षी देवेन्द्र सिंह को 0.10 हे0 भूमि उक्त खेत में सड़क से 150 फीट की दूरी पर जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय की गई । इसके अतिरिक्त 4 बीघा जमीन 4.41 हे0 में से अर्थात लगभग 0.72 हे0 भूमि प्रार्थी ने अपने भाई की पुत्रवधू लक्ष्मी कंवर को विक्रय की थी । प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षी देवेन्द्र सिंह को विक्रय की गई भूमि का खसरा नम्बर 449/82 से बदलकर 485/82 कर दिया गया है, इसी प्रकार सुरेन्द्र सिंह को विक्रय की गई भूमि का खसरा नम्बर 450/82 किया गया है, किन्तु उक्त विक्रय होने के पश्चात नक्शा ट्रेस में इन दौनों नम्बरों को गलत स्थान पर स्थित होना बता दिया गया है, उक्त दौनों नम्बर नक्शा ट्रेस में सड़क से 150 फीट दूर दर्शाना चाहिए था, इसी दौरान अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण उक्त रिकार्ड से अवाप्ति की कार्यवाही की गई जिसमें प्रार्थी की 0.2518 हे0 भूमि तथा सुरेन्द्र सिंह की 0.03 एवं देवेन्द्र सिंह 0.03 हे0 भूमि अधिग्रहण किये जाने का आदेश प्रदान करते हुए अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 25.5.2016 को अवार्ड जारी कर दिया गया है । उक्त अवार्ड पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है तथा प्रार्थी उक्त अवार्ड से सहमत नहीं है, उक्त अवार्ड की जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्रों के अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किये जाने का उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 15.6.2018 को आदेश पारित करते हुए नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान किया गया और उक्त आदेश की पालना में नक्शा ट्रेस दुरूस्त करते हुए देवेन्द्र सिंह और सुरेन्द्र सिंह की भूमि को सड़क से 150 फीट दर होना दर्शाया गया, ऐसी अवस्था में प्रतिपक्षी देवेन्द्र सिंह और सुरेन्द्र सिंह की भूमि 0.03–0.03 हे0 भूमि अवाप्त करने का आदेश प्रदान कर अवार्ड जारी किया गया वह त्रुटिपूर्ण है, वास्तविकता यह है कि दौनों की 0.03–0.03 हे0 भूमि उनकी न होकर प्रार्थी की अवाप्त हुई है इस प्रकार प्रार्थी की 0.2518 हे0 के स्थान पर 0.3118 हे0 भूमि अधिग्रहित हुई है । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का 0.3118 हे0 भूमि अवाप्त होना मानते हुए 0.3118 हे0 भूमि की राशि का अवार्ड प्रार्थी के पक्ष में जारी किया जावें तथा श्री देवेन्द्र सिंह एवं श्री सुरेन्द्र सिंह के पक्ष में 0.03– 0.03 हे0 का जारी किया गया अवार्ड निरस्त फरमाया जावें ।

5. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही तत्समय उपलब्ध राजस्व रेकार्ड के अनुसार की जाकर तदनुसार ही भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कर मुआवजा जारी किया गया है । बिन्दु सं0 5 के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण का कथन है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के समय एवं मुआवजा राशि प्राप्त करते समय प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई । तदनुसार भूमि अवाप्ति की

जिला कलेक्टर

Scanned by CamScanner

कार्यवाही की गई थी । अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें ।

6. वकील अप्रार्थीगण 3 व 4 दौराने बहस अनुपस्थित रहे किन्तु अप्रार्थीगण 3 व 4 द्वारा पूर्व में जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत जवाब दिनांक 20.11.2018 में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दुओं का स्वीकार किया है एवं निवेदन किया है कि प्रतिपक्षीगण नम्बर 3 व 4 क्रमशः देवेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह के पक्ष में जारी किया गया अवार्ड निरस्त किया जाने में कोई आपत्ति नहं है साथ ही प्रतिपक्षीगण नं0 3 व 4 के पक्ष में पारित अवार्ड प्रार्थी के पक्ष में जारी कर दिया जावें ।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अवाप्ति अधिकारी सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 12 परियोजना के लिए अवाप्त भूमि के जारी अवार्ड क्रमांक/एन.एच.–12/प्रकरण संख्या 20/9 प्रकरण संख्या 20/10 एवं 20/11 दिनांक 25.05.2016 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एन.एच. 12 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में जो ख0नं0 82 में से क्रमशः 0.03 हें0–0.03 हे0 भूमि अधिग्रहण करते हुए अवार्ड जारी किया गया है वह भूमि नक्शे में गलत तरमीम के कारण अप्रार्थी सं0 3 व 4 की मानते हुए अवार्ड जारी किया गया है जबकि अप्रार्थी सं0 3 व 4 ने स्वयं अपने जवाब में अवार्ड में संशोधन करने बाबत सहमति दी है ।

8. परिणामतः हम यह मानते है कि नक्शे में गलत तरमीम के कारण यह अवार्ड अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम जारी हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रति–प्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 82 में विक्रय की गई भूमि एवं विक्रय पश्चात शेष भूमि 3.282 हे0 भूमि की मौके की स्थिति अनुसार नक्शे में तरमीम हेतु जांच कराई जाकर नक्शे में तरमीम कराई जावें एवं तद्नुसार संशोधित अवार्ड जारी किया जाकर अवाप्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी को दिलाने के आदेश दिये जाते है ।

9. निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner